राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 69/2021 जीसीएमएस नम्बर – 2021/745

1. प्रेमलता देवी पत्नि बाबुलाल जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2. राजेश देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

..........वादीगण

– बनाम –

1. कन्हीराम पुत्र उमराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
2. कमला देवी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
4. गीता देवी पत्नि लालाराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
5. पूनम देवी पत्नि विनोद जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. प्रेम पुत्र उमराव जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. मदनलाल पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. मुनेश देवी पत्नि फुलसिंह जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र मालाराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
10. माधी पत्नि मालाराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
11. रोहिताश पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
12. सन्तरादेवी पत्नि सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
13. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)।
14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पचेरी कलां जिला झुन्झुनू (राज.)।
15. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
16. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

17. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू- अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)।

दावा – खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –
1. श्री राजेश कुमार यादव अधिवक्ता :– वादीगण की ओर से ।
2. श्री अशोक यादव, अधिवक्ता :– प्रति. 12 की ओर से ।
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद :– एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

–: निर्णय :–

दिनांक –6.2.23

वादी की ओर से वाद निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया कि:–

1. यह कि वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 1535/331 रकबा 0.20 है. ख.न. 302 रकबा 0.65 है. ख.न. 328 रकबा 0.77 है.,ख.न. 329 रकबा 0.64 है. , ख.न. 330 रकबा 1.68 है. , ख.न. 334 रकबा 0.76 है. , ख.न. 338 रकबा 0.45 है. , ख.न. 339 रकबा 0.44 है.,ख.न. 373 रकबा 0.42 है. किता 9 कुल रकबा 6.01 है. मे वादी सं. 1 का हिस्सा 33/1202 , वादी सं. 2 का हिस्सा 33/1202 है दोनों का 0.33 है. रकबा है शेष भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 हे खातेदार भाती देवी पत्नि रामजीलाल की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी सं. 3 व 7 एवं 11 उसके वारीसान है।

2. यह कि वाद वर्णित भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 , प्रतिवादी सं. 2 का 66/601 , प्रतिवादी सं. 3 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 17/201 , प्रतिवादी सं. 5 का 16/201 , प्रतिवादी सं. 6 का 7/3606 , प्रतिवादी सं. 7 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 का 35/603 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 का 11/162 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 का 1/162 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 का 1/9 हिस्सा है प्रतिवादी सं. 13 लगायत 16 से इस भूमि पर ऋण ले रखा है ।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि का मौके पर बाहमी बंटवारा होकर अलग – अलग कास्त करते है वादीगण दोनो एक ही परिवार की सदस्या है अर्थात देवरानी जेठानी होने से अपने सम्पूर्ण रकबा 33/1202 33/1202 त्र 66/1202 अर्थात 0.33 है. रकबा को संयुक्त रूप से कास्त करती है जिनका मौके पर ख.न. 330 रकबा 1.68 है. के 0.33 है. रकबा पर कब्जा है जो अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज है लेकिन इस भूमि का राजस्व रिकार्ड मे खाता संयुक्त रहने से वादीगण अपनी भूमि की पुख्ता सीमाऐ बनाकर सीमाचिन्ह नही बना सकती है एवं इसके अन्यत्र उपयोग हेतु इसका संपरिवर्तन नही करवा सकती है इसलिये वादी[illegible] प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 से खाता विभाजन करवाना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि का खाता[illegible] भिन्न गांवो के निवासी होने से एक साथ एकत्रित नही हो सकते है [illegible] खाता विभाजित नही हो सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

है जिससे वादीयागण की भूमि का खाता संयुक्त रहने से उन्हे ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन नही किया जा सकता है इसलिए वादीयागण के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादीयागण वाद वर्णित भूमि की खातेदार होने एवं राजस्व रिकार्ड मे इसका खाता संयुक्त रहने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना मे स्थित होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

7. यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 संयुक्त खातेदार है तथा प्रतिवादी सं. 13 लगायत 16 ने इस भूमि पर ऋण दे रखा है तथा प्रतिवादी सं. 17 लैण्ड होल्डर होने से सभी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है।

8. यह कि दावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये दावा एक रूपया कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

9. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

10. यह कि विवादित भूमि का अपडेटड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :—

(A). कि वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 1535/331 रकबा 0.20 है. ख.न. 302 रकबा 0.65 है. ख.न. 328 रकबा 0.77 है.,ख.न. 329 रकबा 0.64 है. , ख.न. 330 रकबा 1.68 है. , ख.न. 334 रकबा 0.76 है. , ख.न. 338 रकबा 0.45 है. , ख.न. 339 रकबा 0.44 है.,ख.न. 373 रकबा 0.42 है. किता 9 कुल रकबा 6.01 है. में वादीयागण के 33/1202 , 33/1202 कुल 66/1202 हिस्सा अर्थात 0.33 है. रकबा का खाता वादीयागण के कब्जा को मध्यनजर रखते हुये प्रतिवादीगण से विभाजित किया जाकर लगान भी अलग से कायम किये जाने की कृपा करे एवं सीमाकन व मापन कर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करने का आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

(B). कि वादीयागण का दावा विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीयागण वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रति. 2 की ओर से श्री अशोक यादव वकील उपस्थित आकर अन्डर टेकिंग ली। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दावा खाता एवं लगान विभाजन [illegible] दिनांक 06.06.[illegible] को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु [illegible] तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 02.12.2022 को प्राप्त हुई । वादी ने न्यायालय [illegible] उपस्थित होकर निवेदन किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

है कि तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री जाना न्यायोचित पाता है।

–:आदेश:–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 1535/331 रकबा 0.20 है. ख.न. 302 रकबा 0.65 है. ख.न. 328 रकबा 0.77 है.,ख.न. 329 रकबा 0.64 है. , ख.न. 330 रकबा 1.68 है. , ख.न. 334 रकबा 0.76 है. , ख.न. 338 रकबा 0.45 है. , ख.न. 339 रकबा 0.44 है.,ख.न. 373 रकबा 0.42 है. किता 9 कुल रकबा 6.01 है. में प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–7'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–7'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–7'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 6.1.2.1.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 69/2021 जीसीएमएस नम्बर – 2021/745

1. प्रेमलता देवी पत्नि बाबुलाल जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2. राजेश देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

..........वादीगण

– बनाम –

1. कन्हीराम पुत्र उमराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
2. कमला देवी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
4. गीता देवी पत्नि लालाराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
5. पूनम देवी पत्नि विनोद जाति अहीर निवासी रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. प्रेम पुत्र उमराव जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. मदनलाल पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. मुनेश देवी पत्नि फुलसिंह जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र मालाराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
10. माधी पत्नि मालाराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
11. रोहिताश पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
12. सन्तरादेवी पत्नि सीताराम जाति ब्राह्मण [illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
13. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा [illegible] जिला झुन्झुनू (राज.)।
14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पचेरी कलां [illegible] (राज.)।
15. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

16. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
17. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)।

दावा –खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 12 की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट की** उपस्थित तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6/12/23को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" **न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 1535/331 रकबा 0.20 है. ख.न. 302 रकबा 0.65 है. ख.न. 328 रकबा 0.77 है.,ख.न. 329 रकबा 0.64 है. , ख.न. 330 रकबा 1.68 है. , ख.न. 334 रकबा 0.76 है. , ख.न. 338 रकबा 0.45 है. , ख.न. 339 रकबा 0.44 है.,ख.न. 373 रकबा 0.42 है. किता 9 कुल रकबा 6.01 है. में प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।** "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 6/12/23को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुन्झुनू (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested